

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री ललिता कुमारी पति श्री प्रकाश कुमार निवासी ग्राम: देवलगड़ा, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: कुंडी थाना सं: 27 (रैयती) खाता सं. 19 और 26 के अधीन प्लॉट सं/ 324, 358, 139, 271, 350 और 357, ग्राम: कुंडी थाना सं: 27, गैरमजूरवा (जंगल झारी) खाता सं. 37 के अधीन प्लॉट सं/ 365, ग्राम: देवलगड़ा थाना सं: 28 (रैयती) खाता सं. 13 और 19 के अधीन प्लॉट सं/ 97, 129, 174, 96, 08, 115, 126, 152, 158 और 162, कुल रकबा - 2.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: देवलगड़ा, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: कुंडी थाना सं: 27 (रैयती) खाता सं. 19 और 26 के अधीन प्लॉट सं/ 324, 358, 139, 271, 350 और 357, ग्राम: कुंडी थाना सं: 27, गैरमजूरवा (जंगल झारी) खाता सं. 37 के अधीन प्लॉट सं/ 365, ग्राम: देवलगड़ा थाना सं: 28 (रैयती) खाता सं. 13 और 19 के अधीन प्लॉट सं/ 97, 129, 174, 96, 08, 115, 126, 152, 158 और 162, कुल रकबा - 2.00 एकड़ के तहत श्री ललिता कुमारी पति श्री प्रकाश कुमार निवासी ग्राम: देवलगड़ा, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपति नहीं है।

ललिता कुमारी
१६/०४/२०२२